रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2009/चैत्र 4, 1931
No. 522] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2009/CHAITRA 4, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

(आय-कर)

का.आ. 858(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 30, नियम 31, नियम 31क और नियम 31कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"स्रोत पर काटा गया कर या अध्याय 17ख के अधीन संदत्त कर को सरकारी खाते में जमा करने का समय और ढंग

30. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार काटी गई सभी रकम केंद्रीय सरकार के खाते में निम्नलिखित समय के भीतर जमा की जाएंगी —

(क) उस मास की समाप्ति से दो मास के भीतर जिसमें रकम भुगतानकर्ता द्वारा पाने वाले के खाते में जमा की जाती है, यदि जमा उस तारीख तक का है, जिसको भुगतानकर्ता का हिसाब बनाया गया है ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर, जिसमें,–

(i) कटौती की गई है; या

(ii) आय-कर धारा 192 की उप-धारा (1क) के अधीन शोध्य है ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी विशेष मामलों में निम्नलिखित अनुज्ञात कर सकेगा,—

(क) 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 25 मार्च को रकम का तिमाही भुगतान, यदि रकम की कटौती "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय से की जाती है ;

(ख) 15 जुलाई, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को रकम का तिमाही भुगतान यदि रकम की कटौती,

(i) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज ;

(ii) बीमा कमीशन ; या

(iii) धारा 194ज में निर्दिष्ट कमीशन या दलाली,

के रूप में किसी आय से की जाती है ।

(3) उपनियम (2) के अधीन कोई अनुज्ञा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी ।

(4) अध्याय 17ख के अधीन कटौती या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर,--

(क) प्ररूप सं0 17 में आय-कर चालान इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलैक्ट्रानिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इसे भेज कर केंद्रीय सरकार के खाते में करेगा ।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलैक्ट्रानिक रूप से भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,--

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा भेजी गई है; या

(ख) क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भेजी गई है ।

स्रोत पर काटे गए कर या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर का प्रमाणपत्र

31. (1) धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र या कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र,--

(क) प्ररूप सं0 16 में होगा, यदि कटौती या कर का भुगतान धारा 192 के अधीन किया गया है ;

(ख) प्ररूप सं0 16क में होगा, यदि कटौती अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की गई है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कटौतीधारी को,--

(क) उस तारीख के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर, जिसको स्रोत पर काटे गए कर की रकम केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है, दिया जाएगा, यदि संदाय, जिसकी बाबत कर इस प्रकार काटा गया कर, उस तारीख को जमा के रूप में है, जिस तक कटौतीकर्ता का हिसाब बनाया गया है ;

(ख) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक मास के भीतर, दिया जाएगा जिसमें भुगतान कटौतीधारी को किया गया है, यदि,--

(i) कर की कटौती धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन की गई है ;

(ii) प्रमाणपत्र धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा कर के संदाय के संबंध में है ;

(iii) कर की कटौती धारा 194घ के अधीन की गई है ; या

(iv) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आय-कर की कटौतियों के लिए कटौतीधारी को एक से अधिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है और कटौतीधारी ने ऐसी कटौतियों की बाबत समेकित प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया है ;

(ग) आय-कर के भुगतान की तारीख से चौदह दिन के भीतर दिया जाएगा, यदि भुगतान नियम 30 के उपनियम (2) के अधीन तिमाही रूप से किया गया है ;

(घ) सभी अन्य मामलों में उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर दिया जाएगा, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती की गई है ।

(3) कटौतीकर्ता, यथास्थिति, प्ररूप सं0 16 या प्ररूप सं0 16क में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि कटौतीधारी ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र कटौतीकर्ता द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित किया जाता है ।

(4) निर्धारण अधिकारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के आधार पर स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट देने के पहले,--

(क) कटौतीधारी से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा ; और

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अभिहित निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणित कराएगा ।

कर कटौती या कर संग्रहण की तिमाही विवरणी

31क. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 203क के अधीन कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या आबंटित किया गया है, निम्नलिखित तिमाही विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा, अर्थात् :--

(क) प्ररूप सं0 24ग में स्रोत पर कर कटौती अनुपालन विवरणी ;

(ख) प्ररूप सं0 24थ में धारा 192 के अधीन कर कटौती की तिमाही विवरणी ;

(ग) धारा 193 से धारा 196घ के अधीन निम्नलिखित में कर कटौती की तिमाही विवरणी,--

(i) कंपनी से भिन्न ऐसे कटौतीधारी की बाबत, जो अनिवासी या निवासी है किंतु साधारणतः निवासी या कटौतीधारी विदेशी कंपनी नहीं है, प्ररूप सं0 27थ में ; और

(ii) अन्य सभी कटौतीधारियों की बाबत प्ररूप 26थ में ; और

(घ) प्ररूप 27ङथ में धारा 206ग के अधीन कर संग्रहण की तिमाही विवरणी ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन इसमें निर्दिष्ट विवरणी परिदत्त करने या परिदत्त कराने की अपेक्षा है, ऐसी विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप 24ग में विवरणी वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाहियों की बाबत क्रमशः 15 जुलाई, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी को या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की पश्चात्वर्ती 15 जून को या उससे पूर्व परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं0 24थ, प्ररूप सं0 26थ, प्ररूप सं0 27थ और प्ररूप सं0 27ङथ में विवरणी वित्तीय वर्ष की पश्चात्वर्ती 15 जून को या उसके पूर्व परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी ।";

(ख) नियम 37क का लोप किया जाएगा ।

(ग) नियम 37गक और नियम 37घ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे :--

"अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा करने का समय और ढंग

37गक. (1) अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत सभी रकम उस मास, जिसमें संग्रहण किया गया है, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएगी ।

(2) अध्याय 17खख के अधीन संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर,--

(क) प्ररूप सं0 17 में आय-कर चालान इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलैक्ट्रानिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इसे भेज कर केंद्रीय सरकार के खाते में करेगा ।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलैक्ट्रानिक रूप से भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,--

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा भेजी गई है; या

(ख) क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भेजी गई है ।

स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र

37घ. (1) धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का प्रमाणपत्र प्ररूप सं0 27घ में होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर कटौतीधारी को दिया जाएगा, जिसमें रकम क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित की गई या भुगतान, यथास्थिति, क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त किया गया है ।

(3) स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्ररूप सं0 27घ में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित किया जाता है ।

(4) निर्धारण अधिकारी, उपनियम (3) में निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के आधार पर स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर के लिए क्रेडिट देने के पहले,--

(क) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा ; और

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अभिहित निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणित कराएगा ।";

(ध) प्ररूप सं0 16, प्ररूप सं0 16क और प्ररूप सं0 16कक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

प्ररुप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

वेतन के स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
वित्तीय वर्ष		टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या#	
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पिछला टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या		
कटौतीकर्ता का टैन		कटौतीकर्ता का नाम	
कटौतीधारी का पैन		कटौतीधारी का नाम	
आयकर विभाग द्वारा यथा उपलब्ध कराया गया टीडीएस यूनीक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन)	**क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमान्य था (हां/नहीं)**	**संदत्त/संग्रहीत सकल रकम**	**टीडीएस/टीसीएस रकम**
टीडीएस/टीसीएस की सकल रकम			
कुल टीडीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमान्य पाया गया *			

संदत्त वेतन और किसी अन्य आय और काटे गए कर का ब्यौरा						
1.	सकल वेतन					
	(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन		रु.		
	(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररुप सं. 12खख के अनुसार, जहां लागू हो)		रु.		
	(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररुप सं, 12खख के अनुसार, जहां लागू हो)		रु.		
	(घ)	कुल			रु.	
2.	घटाइएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			रु.		
				रु.		
				रु.	रु.	
3	अतिशेष (1-2)				रु.	
4	कटौतियां :					
	(क)		मानक कटौती रु.			
	(ख)		मनोरंजन भत्ता रु.			
	(ग)		नियोजन पर कर रु.			
5	4(क) से (ग) का योग			रु.		
6.	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3-5)					रु.

7.	जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			रु.		
				रु.		
				रु.		रु.
8	सकल कुल आय (6+7)					रु.
9	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां					
			सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	
	(क)		रु.	रु.	रु.	
	(ख)		रु.	रु.	रु.	
	(ग)		रु.	रु.	रु.	
	(घ)		रु.	रु.	रु.	रु.
10	अध्याय 6 के अधीन कटौती योग्य रकम का योग					रु.
11	कुल आय (8-10)					रु.
12	कुल आय पर कर					रु.
13	अध्याय 8 के अधीन रिबेट और अनुतोष					
	I	धारा 88 के अधीन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
		सकल रकम		अर्हक रकम	कर रिबेट/ अनुतोष	
		(क)	रु.	रु.		
		(ख)	रु.	रु.		
		(ग)	रु.	रु.		
		(घ)	रु.	रु.		
		(ङ)	रु.	रु.		
		(च) योगफल (क से ङ तक)	रु.	रु.		
	II	(क)	धारा 88ख के अधीन		रु.	
		(ख)	धारा 88ग के अधीन		रु.	
	III	धारा 89 के अधीन (ब्यौरे संलग्न करें)			रु.	रु.
14	कर रिबेट का योग और ऊपर 13 [I(च) + II (क) +II(ख)+III] में कर रिबेट और अनुतोष का योग					रु.
15	संदेय कर (12-14) और उस पर अधिभार					रु.
16	घटाएं : स्रोत पर कटौती किया गया कर					रु.
17	संदेय/प्रतिदेय कर (15-16)					रु.

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि की स्रोत पर कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तिकों दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं ।

स्थान	
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

प्ररुप सं. 16क

[नियम 31(1)(ख) देखिए]

स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
वित्तीय वर्ष		टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या#	
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पूर्व टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या दें		
कटौतीकर्ता का टैन		कटौतीकर्ता का नाम	
कटौतीधारी का पैन		कटौतीधारी का नाम	

आयकर विभाग द्वारा यथारूप से उपलब्ध कराया गया टीडीएस यूनीक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन)	क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमान्य था (हां/नहीं)	संदत्त/ सकल रकम	टीडीएस रकम
टीडीएस की रकम			
कुल टीडीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमान्य पाया गया है			

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि की स्रोत पर कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं ।

स्थान	
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

प्ररूप सं0	17	टीडीएस और टीसीएस संदाय के लिए भारतीय आयकर चालान *[नियम 30(4)(क) या नियम 37ग क(2)(क) देखिए]*	वित्तीय वर्ष जिसको स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण किया गया है -

टैन	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पैन

चालान पहचान संख्या (सीआईएन)	बीएसआर कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क्रम संख्यांक
संव्यवहार संदर्भ संख्या			

पूरा नाम	
नगर और राज्य सहित पूरा पता	
ई-मेल पता	पिन
फोन नंबर (एसटीडी कोड सहित)	
मोबाईल नं0	

संदाय की तारीख						
संदेय टीडीएस और टीसीएस की (कुल रकम) (अंको में)						
संदेय टीडीएस और टीसीएस की कुल रकम (शब्दों में)	करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दस	इकाई
लेखा में विकलन द्वारा प्रदत्त (कटौतीकर्ता का खाता सं0)				विकलन की तारीख		
बैंक का नाम जिसको संदाय किया गया है						

कटौतीधारियों से टीडीएस/टीसीएस का ब्यौरा (यदि अभिलेख की संख्यां 10 से अधिक है तो कटौतीधारी की फाइल अपलोड करें)				कटौतीधारी की फाइल अपलोड करें
यूनीक संव्यवहार संख्या	कटौतीधारी का पैन	पैन विधिमान्य है (हां/नहीं)	कटौतीधारी का नाम	टीडीएस/टीसीएस रकम(जिसमें अधिभार और शिक्षा उपकर सम्मिलित हैं)

कुल टीडीएस/टीसीएस	
ब्याज	
शास्ती	
अन्य	
उपरोक्त रकम का योग	

(ङ) प्ररूप 24 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

प्ररूप सं०	24ग	टीडीएस और टीसीएस अनुपालन विवरण [नियम 31क (1)क देखें]	वित्तीय वर्ष -

व्यक्तिगत जानकारी	नाम		टैन
	फ्लैट/मकान/ब्लाक सं.	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	मुख्यालय या कराधेय हस्ती का पैन
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थिति	तिमाही (पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी)
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड
	ई-मेल		एसटीडी कोड फोन नं. ( )
फाइलिंग की प्रास्थिति	टीडीएस निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/सर्किल)		
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित *(निशान लगाएं)* ☒	☐ मूल	☐ पुनरीक्षित
	यदि पुनरीक्षित है तो अभिस्वीकृति सं. और मूल विवरणी की फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		
	निवासी प्रास्थिति *(निशान लगाएं)* ☒	☐ निवासी	☐ गैर-निवासी
	क्यानीचे एससीएच कॉम-1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई संव्यवहार की प्रकृति करें ☐ नहीं *(शून्य विवरणी)*		☐ हां *(अनुसूची कॉम में ब्यौरा प्रविष्ट*

एससीएच कॉम-1	— —/— — — — मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा								
स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम =(6) + (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन							

	192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज							
	194	लाभांश							
	194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज							
	194 ख	लॉटरी और वर्ग पहेली से जीत							
	194 खख	घुड़दौड़ से जीत							
	194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार का संदाय							
	194 घ	बीमा कमीशन							
	194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीडा संगम							
	194 ङङ	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय							
	194 च	पारस्परिक निधियां यूटीआई द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय							
	194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि							
	194 ज	कमीशन या दलाली							
	194 झ	किराया							
	194 ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस							
	194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनिटों की बाबत निवासी निर्धारिती को संदेय आय							
	194 उक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय							
	195	किसी गैर निवासी को संदेय अन्य राशि							
	196 क	गैर निवासी की यूनिटों की बाबत आय							

	196 ख	किसी अपतट निधि की यूनिटों की बाबत संदाय							
	196 ग	विदेशी करेंसी बंधपत्र या गैर निवासी को संदेय भारतीय कंपनी के शेयर से आय							
	196 घ	प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता से आय							
	206 ग	मानव खपत के लिए अल्कोहल लिकर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	वनपट्टे के अधीन उपाप्त टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	वनपट्टे से भिन्न किसी अन्य ढंग द्वारा उपाप्त टिंबर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं है) से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	स्क्रैप के लिए स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	पार्किंग लाट से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी धारा से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	खान या खदान से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	स्रोत पर संग्रहण तेंदूपत्त से							
								स्रोत पर काटा गया या संग्रहीत कुल कर	
								ब्याज	
								शास्ति	
								अन्य	
								कुल योग।	

टिप्पण ► *प्राप्ति, व्यय और पूंजीजावक और तत्स्थानी टीडीएस और टीसीएस रकम का खंड के अनुसार ब्यौरा प्रविष्टि करें स्तंभ 9 में टीडीएस और टीसीएस का योग केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा टीडीएस और टीसीएस के अनुसार होना चाहिए ।*

एससीएच फॉर्म 2 — — / — — — — मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा

	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम =(6) + (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज							
	194	लाभांश							
	194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज							
	194 ख	लॉटरी और वर्ग पहेली से जीत							
	194 खख	घुड़दौड़ से जीत							
	194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार कासंदाय							
	194 घ	बीमा कमीशन							
	194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीडा संगम							
	194 ङङ	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय							

	194 च	पारस्परिक निधियां यूटीआई द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय							
	194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि							
	194 ज	कमीशन या दलाली							
	194 झ	किराया							
	194 ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस							
	194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनिटों की बाबत निवासी निर्धारिती को संदेय आय							
	194 ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय							
	195	किसी गैर निवासी को संदेय अन्य राशि							
	196 क	गैर निवासी की यूनिटों की बाबत आय							
	196 ख	किसी अपतट निधि की यूनिटों की बाबत संदाय							
	196 ग	विदेशी करेंसी बंधपत्र या गैर निवासी को संदेय भारतीय कंपनी के शेयर से आय							
	196 घ	प्रतिभूतिओं से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता से आय							
	206 ग	मानव खपत के लिए अल्कोहल युक्त लिकर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	वनपट्टे के अधीन उपाप्त टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण							

	206 ग	वनपट्टे से भिन्न किसी अन्य ढंग द्वारा उपाप्त टिंबर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं है) से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	स्क्रैप के लिए स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	पार्किंग लाट से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी धारा से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	खान या खदान से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	तेंदूपत्त से स्रोत पर संग्रहण							
								स्रोत पर काटा गया या संग्रहीत कुल कर	
								ब्याज	
								शास्ति	
								अन्य	
								कुल योग।	

टिप्पण ▶ *प्राप्ति, व्यय और पूंजीजावक और तत्स्थानी टीडीएस और टीसीएस रकम कर खंड के अनुसार ब्यौरा प्रविष्टि करें स्तंभ 9 में टीडीएस और टीसीएस का योग केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा टीडीएस और टीसीएस के अनुसार होना चाहिए ।*

एससीएच कॉम-3	___ ___/___ ___ ___ ___ मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा								
स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम =(6) + (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

	192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज							
	194	लाभांश							
	194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज							
	194 ख	लॉटरी और वर्ग पहेली से जीत							
	194 खख	घुड़दौड़ से जीत							
	194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार का संदाय							
	194 घ	बीमा कमीशन							
	194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीडा संगम							
	194 ङङ	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय							
	194 च	पारस्परिक निधियां या यूटीआई द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय							
	194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि							
	194 ज	कमीशन या दलाली							
	194 झ	किराया							
	194ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस							
	194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनिटों की बावत निवासी निर्धारिती को संदेय आय							
	194 ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय							

	195	किसी गैर निवासी को संदेय अन्य राशि							
	196 क	गैर निवासी की यूनिटों की बाबत आय							
	196 ख	किसी अपतट निधि की यूनिटों की बाबत संदाय							
	196 ग	विदेशी करेंसी बंधपत्र या गैर निवासी को संदेय भारतीय कंपनी के शेयर से आय							
	196 घ	प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता से आय							
	206 ग	मानव खपत के लिए अल्कोहल लिकर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	वनपट्टे के अधीन उपाप्त टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	वनपट्टे से भिन्न किसी अन्य ढंग द्वारा उपाप्त टिंबर से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं है) से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	स्क्रैप के लिए स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	पार्किंग लाट से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी धारा से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	खान या खदान से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण							
	206 ग	स्रोत पर संग्रहण तेंदूपत्ते से							
								स्रोत पर काटा गया या संगृहीत कुल कर	
								ब्याज	

	शास्ति	
	अन्य	
	कुल योग	
टिप्पण ▸	*प्राप्ति, व्यय और पूंजीजावक और तत्स्थानी टीडीएस और टीसीएस रकम कर खंड के अनुसार ब्यौरा प्रविष्टि करें स्तंभ 9 में टीडीएस और टीसीएस का योग केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा टीडीएस और टीसीएस के अनुसार होना चाहिए ।*	

एससीएच वेतन	स्रोत पर काटे गए या संग्रहीत किए गए कर का ब्यौरा		
	क्रम सं0	चालान पहचान सं0 (सी.आई.एन.)	रकम

(च) प्ररूप 24थ में, उपाबंध 1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध 1 रखा जाएगा, अर्थात् :—

उपाबंध 1

टीडीएस का कटौतीधारी-वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 24क्ष की क्रं0सं0 4 पर तालिका में पंक्ति - मद के लिए पृथक् उपाबंध का उपयोग करें)

कर्मचारियो को दिए गए वेतन और उस पर कटौती किए गए कर का विवरण

शाखा का बीएसआर. कोड जहां कर जमा किया गया	
तारीख जिसको कर जमा किया गया (तारीख: ___ माह ___ वर्ष)	
चालान क्रम सं0	
धारा जिसके अधीन संदाय किया गया	
स्तंभ 323 के लम्बवत योग के अनुसार कटौतीधारियों के बीच आबंटन किया जाने वाला कुल टीडीएस	
ब्याज	
अन्य	
उपर्युक्त का योग	

नियोजक का नाम
टीएएन

क्र. सं0	नियोजक द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी संदर्भ संख्यांक	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	कर्मचारी का पीएएन	कर्मचारी का नाम	संदाय प्रत्यय की तारीख	कर योग्य रकम जिस पर कर काटा गया रु0	टीडीएस	अधिभार	शिक्षा उपकर	काटा गया कुल कर (319+320+321) रु0	कुल जमा किया गया कर रु0	कटौती की तारीख	जमा की तारीख	कटौती न करने/कम कटौती करने का कारण *
(313)	(314)	(348)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)
1														
2														
3														
4														
5														
योग														

सत्यापन

मैं, ... प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर..............................

तारीख : स्रोत-पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम...........

टिप्पण.—

* धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे यदि "कम कटौती हो" तो "क" लिखें या कोई "कटौती न हो" तो "ख" लिखें

(छ) प्ररूप 26थ में –

(i) "धारा 193, 194, 194ख, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ठक और नियम 31क देखें" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "नियम 31क (1)(ग) (ii) देखें", शब्द,अंक,अक्षर और कोष्ठ रखे जाएंगे ;

(ii) उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

उपाबंध

टीडीएस का कटौतीधारी-वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 26थ की क्रम संख्यांक 4 पर तालिका में प्रत्येक पंक्ति मद के लिए पृथक् उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त हुई तिमाही के दौरान ....(तारीख .... माह..........वर्ष) संदत्त/प्रत्यय की गई रकम तथा स्रोत पर कर कटौती के विवरण

शाखा का बीएसआर कोड जहां कर जमा किया गया	
तारीख जिसको कर जमा किया गया (तारीख: ___ माह ___ वर्ष)	
चालान क्रम सं0	
धारा जिसके अधीन संदाय किया गया	
स्तंभ 425 के लम्बवत योग के अनुसार कटौतीधारियों के बीच आबंटन किया जाने वाला कुल टीडीएस	
ब्याज	
अन्य	
उपर्युक्त का योग	

कटौतीकर्ता का नाम	
टीएएन	

क्र. सं0	कटौतीकर्ता का कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	कटौतीधारी पीएएन	कटौतीधारी का नाम	संदाय/ प्रत्यय की तारीख	संदाय/ प्रत्यय की गई रकम	बही प्रविष्टि या अन्यथा द्वारा संदत्त	टीडीएस	अधिभार	शिक्षा उपकर	कुल कटौती किया गया कर (421+422+423) रु0	जमा किया गया कुल कर	कटौती की तारीख	दर जिस पर कटौती की गई	कटौती न करने/कम कटौती करने का कारण *
414	415	429	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428
1															
2															
3															
4															
5															
Total															

सत्यापन

मैं, ... प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर..............................

तारीख : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम...........

टिप्पण.—

* "क" लिखें यदि 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "कम कटौती हो" या "कटौती न हो" तो लिखें

"ख" लिखें यदि धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती न हो ।

(ज) प्ररूप सं0 27घ, के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

प्रारुप सं. 27घ

[नियम 37घ देखिए]

स्रोत पर **संग्रहीत** किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
वित्तीय वर्ष		टीसीएस प्रमाणपत्र संख्या#	
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पूर्व टीसीएस प्रमाण-पत्र संख्या दें		

संग्रहकर्ता का टैन		**संग्रहकर्ता** का नाम	
खरीददार या लाइसेंस सुदा या पट्टेदार या जिसको निविदा दी गयी है का स्थाई लेखा संख्या		**खरीददार या लाइसेंस सुदा या पट्टेदार या जिसको निविदा दी गयी है का नाम**	

आयकर विभाग द्वारा यथारूप से उपलब्ध कराया गया टीसीएस यूनीक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन)	**क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमान्य था (हां/नहीं)**	**संदत्त सकल रकम**	**टीसीएस रकम**

टीसीएस की कुल रकम	
कुल टीसीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमान्य पाया गया है	

मैं .... पुत्र/पुत्री .... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि .... रुपए [केवल .... (शब्दों में रुपए)] की राशि स्रोत पर **संग्रहीत** की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है । मैं, यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं ।

स्थान	
तारीख	**कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर**
पदनाम	पूरा नाम

\# टीसीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

(झ) प्ररूप 27थ में –

(i) "धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और नियम 31क और 37क देखें" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "नियम 31क (1)(ग) (i) देखें", शब्द,अंक,अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

उपाबंध
टीडीएस कटौतीधारी-वार ब्यौरा

(प्रत्येक पंक्ति मद के लिए कृपया मुख्य प्ररुप 27थ की क्रम संख्यांक 4 पर तालिका में पृथक् उपाबंध का उपयोग करें)
समाप्त हुई तिमाही के दौरान ....(तारीख .... माह.........वर्ष) संदत्त/प्रत्यय की गई रकम तथा स्रोत पर कर कटौती के विवरण

शाखा का आयु कोड जहां कर जमा किया गया	
तारीख जिसको कर जमा किया गया (तारीखः ___ माह ___ वर्ष)	
चालान क्रम सं0	
शीर्ष जिसके अधीन संदाय किया गया	
स्तंभ 725 के लम्बवत् योग के अनुसार कटौतीधारियों के बीच आबंटन किया जाने वाला कुल टीडीएस	
ब्याज	
अन्य	
उपर्युक्त का योग	

कटौतीकर्ता का नाम	
टीएएन	

क्र सं0	कटौतीधारी कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	स्थायी लेखा संख्यांक (पीएएन)	कटौतीधारी का पीएएन	कटौतीधारी का नाम	संदाय/प्रत्यय की तारीख	संदत्त/प्रत्यय की गई रकम	बही प्रविष्टि या अन्यथा द्वारा संदत्त	टीडीएस	अधिभार	शिक्षा उपकर	कटौती किया गया कुल कर (721+722+723)	जमा किया गया कुल कर	कटौती की तारीख	दर जिस पर कटौती की गई	कटौती न करने/कम कटौती करने का कारण/समय का कारण (यदि कोई है) *
714	715	729	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728
1															
2															
3															
4															
5															
Total															

सत्यापन

मैं, ... प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान :
तारीख :

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर..............................
स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम...........

टिप्पण.—

* "क" लिखें यदि "कम कटौती" या गैर कटौती धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे है ।
"ख" लिखें यदि गैर कटौती धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे है
"ग" लिखें यदि पूरा (लेखा) कर लिया गया है" ।

(ञ) प्ररूप 27ङथ में –

(i) "31कक" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "31क" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

उपाबंध
टीसीएस का पक्षकार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 27ङथ के क्रम संख्यांक 4 पर तालिका में प्रत्येक पंक्ति मद के लिए पृथक् उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त हुई तिमाही के दौरान ....(तारीख .... माह.........वर्ष) संदत्त/प्रत्यय की गई रकम तथा स्त्रोत पर कर कटौती के विवरण

शाखा का बीएसआर कोड जहां कर जमा किया गया	
तारीख जिसको कर जमा किया गया (तारीख ___ माह ___ वर्ष)	
चालान क्रम सं0	
संग्रह कोड जिसके अधीन संदाय किया गया	
स्तंभ 676 के लम्बवत योग के अनुसार पक्षकारों के बीच आबंटन किया जाने वाला कुल टीडीएस	
ब्याज	
अन्य	
उपरोक्त का कुल	

संग्रहकर्ता का नाम	
टीएएन	

क्र. सं0	पक्षकार कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	पक्षकार का पीएएन	पक्षकार का नाम	क्रयों की कुल लागत	संदाय /जमा रकम रुपयों में	तारीख जिसको रकम संदाय /जमा की गई	बही प्रविष्टि या अन्यथा द्वारा संदाय किया गया	टीडीएस	अधिभार	शिक्षा उपकर	संग्रह किया गया कुल कर (672+673)+674) रु0	जमा किया गया कुल कर रुपए	संग्रह की तारीख	दर जिस पर संग्रह किया गया	जमा न होने/कम जामा होने का कारण [2]
664	665	680	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
1																
2																
3																
4																
5																
योग																

सत्यापन

मैं, ... प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान : स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर..............................

तारीख : स्रोत पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम...........

टिप्पण.— 1. कृपया मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक मदिरा के लिए संग्रह कोड क किसी वन पट्टे के अधीन प्राप्त की गई इमारती लकड़ी के लिए कोड ख, वन पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त की गई इमारती लकड़ी के लिए कोड ग, किसी अन्य का उत्पाद, जो इमारती लकड़ी या तेन्दू पत्ता नहीं है, के लिए कोड घ, स्क्रेप के लिए कोड ङ, पार्किंग लॉट के लिए कोड च, टोल प्लाजा के लिए कोड छ, खनन और खदान क्रिया के लिए कोड ज लिखें ।

2. धारा 206(9) के अनुसार "कम जमा" के लिए "क" लिखें, किसी अन्य कारण के लिए "ख" लिखें, पृथक् सीट में विवरण दें ।

[अधिसूचना सं. 31/2009/फा. सं. 142/22/2008-टीपीएल]

विजय कुमार जायसवाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 740(अ), तारीख 16-03-2009 द्वारा आयकर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2009 द्वारा संशोधन किया गया ।